

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3561

दिनांक: ३०/०७//

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

**महाविद्यालय का नाम :** महाराजा इंस्टीयूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट रोड, महाराजपुरा  
ग्वालियर

**मनोनीत सदस्य** : 1. डॉ. वन्दना वाघ, शासकीय महाविद्यालय, जौरा  
2. श्री दशरथ सिंह गर्जुर, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, महाराजा इंस्टीयूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट रोड, महाराजपुरा ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय चे नाम हो री किंवा जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
उत्तमविद्या विषय पर यांत्र दूर्घटना  
व्यवहार कुमा हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सरिया हो।



नाम : दृष्टीविठ्ठली  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442601  
(फोनलिन)  
2442462 (निकास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jutreg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 4847

दिनांक : 09/05/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्णायकुमार महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम., (सभी अधिकारी विषय-कन्प्यूटर अति.वि.) एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में की जावे।
- खेलकूद का मैदान विकसित किया जावे।
- शासी निकाय की बैठकें आयोजित की जावे।
- 28(17) के तहत नियुक्तियां अवश्य कर लें अन्यथा सत्र 2012-13 की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की जावेगी। यह अनित्य अवसर है।

आदेशाब्दिक  
  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्वालियर
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुङ्ग भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ज्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पक्ष व्यक्तिर कुलपति जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। पक्ष  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण तो पक्ष  
व्यवहार द्वारा ही तो पक्ष क्रमानु एवं दिवानक  
अवधारणा ही जीवाजी विश्वविद्यालय हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्युल्टी : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसाहित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/5319

दिनांक: 27/09/12

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्वालियर (0751-4068110) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/सम्बन्धित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्वायी सम्बन्धित विषयविद्यालय अधिकार्यम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विभागानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलसाहित, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(0751-2442603)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिकार्यता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(3) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉर्क, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अगतिप्राप्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकेल तथा प्रियों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉर्क की विस्तृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसा एवं अकिंत करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधीनित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विभागीय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित विरीक्षण समिति, संयोजक का होगा।

विरीक्षण का वर्तन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विरीक्षण में विरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वयं विरस्त हो आयुक्त, उच्च शिक्षा भोगात की भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वयं विरस्त हो आयुक्त और पुक्क विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा कराये दोगे। तत्पश्चात ही विरीक्षण का पुर्वजल किया जायेगा। परिवेदन 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देवा अवैधिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कावर्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देव

कुलसाहित

#### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसाहित के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर